मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

महत्वपूर्ण /तत्काल

क्रमांक 2312 /2252/2006/1-10 भोपाल, दिनांक 7-7-06

प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश शासन।

विषय:- कार्य विभागो के विभिन्न संभागो के भण्डारागारो में उपलब्ध अनुपयोगी एवं अतिशेष सामग्री का सदुपयोग ।

2976/FVS
20-7-06

- - - -

शासन के ध्यान में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कार्य विभागो के विभिन्न संभागो के भण्डारागारों में लंबे समय से रखी काफी सामग्री या तो अनुपयोगी है या अतिशेष है । दूसरी ओर आवश्यकता पड़ने पर अन्य संभागो/विभागो द्वारा उसी सामग्री को पुनः क्रय किया जाता है, जिससे व्यय की गई धनराशि का सदुपयोग नहीं हो पाता ।

SE(A)
E-in-C
20/7
EE(C)

2. अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि विभागो के विभिन्न जिलों में स्थित भण्डारागारों से अतिशेष एवं अनुपयोगी सामग्री की जानकारी वेबसाइट पर रखी जाय तथा उसे प्रमुख अभियंता कार्यालय में संकलित किया जाये । जिलो में विभिन्न परियोजनाओं हेतु आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध सामग्री की जानकारी के आधार पर प्रमुख अभियंता कार्यालय से क्रय हेतु अनापत्ति प्राप्त होने पर, जो उनके द्वारा अन्य विभागों सहित संकलित सूची में सामग्री अनुपलब्ध होने पर जारी की जावेगी, सामग्री क्रय की जाना चाहिए । यदि प्रमुख अभियंता कार्यालय से अनापत्ति प्राप्त किये बिना सामग्री क्रय की जाती है तो उसे शासकीय धन का अपव्यय मानते हुए क्रयकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जावे ।

क्र शाखा

4
2217

........2

3/— अतः निवेदन है कि कृपया उपरोक्तानुसार विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर कार्यवाही सुनिश्चित करायें तथा की गई कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें । अनुपयोगी सामग्री को अपलेखन कराकर नियमानुसार निराकरण कराने की भी कार्यवाही होना सुनिश्चित करें ।

6/7/2006

(डी. एस. राय)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ0 कमांक 6384/कय–101(2)/प्र0अ0/लोस्वायांवि0/ भोपाल, दिनांक 25/7/06

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियंता,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग परिक्षेत्र –भोपाल,इंदौर,जबलपुर,ग्वालियर एवं वि./या.भोपाल
2. अधीक्षण यंत्री,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंडल/परियोजना मंडल .... मध्यप्रदेश ।
3. कार्यपालन यंत्री,लोक सवास्थ्य यांत्रिकी खंड/परियोजना खंड................................ मध्यप्रदेश ।

परिक्षेत्र स्तर से जिलेवार जानकारी टाईप कराकर एवं सी.डी.के साथ 15 दिनों में इस कार्यालय को भेजें । निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

(सुधीर सक्सेना)
प्रमुख अभियंता